



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032023-244118
CG-DL-E-03032023-244118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]
No. 131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सं. 15/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 169(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2022- सीमा शुल्क, तारीख 24 मई, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 392(अ), तारीख 24 मई, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक "2024" के स्थान पर, अंक "2023" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/29/2023-टीओ(टीआरयू-I)]

राकेश दहिया, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 30/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 24 मई, 2022, को सा.का.नि. 392(अ), 24 मई, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

No. 15/2023-Customs

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2022-Customs, dated the 24th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 392(E), dated the 24th May, 2022, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the figure “2024”, the figure “2023” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/29/2023-TO(TRU-I)]

RAKESH DAHIYA, Dy. Secy.

Note : The principal Notification No. 30/2022-Customs, dated the 24th May, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 392 (E), dated the 24th May, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

सं. 16/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 170(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(1) क्र. सं. 20 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“20ख.	0713 60 00	तूर साबुत	शून्य	-	- ”;

(2) क्र. सं. 21 के सामने, स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर, “तूर (तूर साबुत के अलावा)” प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

2. यह अधिसूचना 04 मार्च, 2023 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/29/2023-टीओ(टीआरयू-I)]

राकेश दहिया, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 13/2023 सीमा-शुल्क, तारीख 23 फरवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 124(अ), तारीख 23 फरवरी, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

No. 16/2023-Customs

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(1) after S. No. 20A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"20B.	0713 60 00	Tur Whole	Nil	-	-";

(2) against S. No. 21, in column (3), for the entry, the entry "Tur (other than Tur Whole)" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 04th March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/29/2023-TO(TRU-I)]

RAKESH DAHIYA, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 13/2023-Customs, dated the 23rd February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 23rd February, 2023.